बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 382746 पटना, दिनांक 03/08/18

ग्रा0वि0-5/इ0आ0यो0(IAY अन्य)-102-31/2016

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत अयोग्य लाभुकों का नाम प्राथमिकता सूची से हटाने के संबंध में ।**

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-359573 दिनांक-13.03.2018, पत्रांक-367885 दिनांक-07.05.18 एवं पत्रांक-379029 दिनांक-13.07.18

महाशय,

उपर्युक्त के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक-359573 दिनांक-13.03.2018 एवं पत्रांक-367885 दिनांक-07.05.18 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्राथमिकता सूची में अयोग्य लाभुकों का नाम हटाने हेतु Remand Module उपलब्ध कराते हुए आवश्यक कार्रवाई करने एवं विभाग को प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया है । इस संबंध में विभागीय पत्रांक-379029 दिनांक-13.07.18 द्वारा स्मारित भी किया गया है । परन्तु स्थिति के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस संबंध में जिलों द्वारा अपेक्षित प्रगति नहीं की जा सकी है ।

विभागीय पत्रांक-378693 दिनांक-11.07.18 द्वारा सभी जिलों के लक्ष्य को संशोधित करते हुए दिनांक 21.07.18 तक शत् प्रतिशत स्वीकृति प्रदान करने का निदेश दिया गया था, किन्तु जिलों द्वारा निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध शत् प्रतिशत स्वीकृति प्रदान करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए लक्ष्य को पुन: प्रत्यर्पण करने की सूचना दी जा रही है, जबकि आवास सॉफ्ट पर जिलों की प्रतीक्षा सूची में लाभुक प्रदर्शित हो रहे हैं । ऐसी स्थिति में जिलों के लक्ष्य प्रत्यर्पण प्रस्ताव मान्य नहीं किये जा सकेगें ।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु जिलों द्वारा निम्न कार्रवाई सुनिश्चित की जाय :-

(1) जिला अंतर्गत प्राथमिकता सूची में शामिल अयोग्य परिवारों का नाम हटाने हेतु दिनांक 10.08.18 के पूर्व सभी पंचायतों में ग्राम सभा की तिथि निर्धारित की जायेगी तथा लक्ष्य के अनुरूप शत् प्रतिशत स्वीकृति प्रदान की जायेगी । इसके लिए संशोधित Order Sheet की प्रति संलग्न है ।

(2) अयोग्य लाभार्थियों का नाम प्राथमिकता सूची से हटाने तथा विभागीय पत्रांक-370600 दिनांक-22.05.18 के आलोक में योग्य परिवारों का नाम प्रतीक्षा सूची में शामिल करने हेतु दिनांक 15.08.18 तक जिन पंचायतों में अबतक ग्राम सभा आयोजित नहीं की गई है वहाँ दिनांक-10.08.18 तक अनिवार्यत: ग्राम सभा आयेजित कराई जाय ।

(3) ग्राम सभा की कार्यवाही के आलोक में Remand Module पर अग्रेतर कार्रवाई हेतु दिनांक 20.08.18 के पूर्व इसे उप विकास आयुक्त को अग्रसारित कर दिया जायेगा । साथ ही जिन जिलों में योग्य लाभुकों का नाम शामिल करने हेतु अपीलीय समिति को अबतक अग्रसारण नहीं किया गया है वहां निश्चित रूप से अग्रसारित कर दिया जायेगा ।

(4) जिला स्तर से अयोग्य लाभार्थियों का नाम प्राथमिकता सूची से हटाए जाने की प्रक्रिया पूरी करके राज्य Login में दिनांक 25.08.18 तक उपलब्ध कराया जायेगा तथा इन परिवारों का डाटा समेकित रूप से misiaybihar@gmail.com पर विभाग में उपलब्ध कराया जायेगा ।

(5) जिन जिलों द्वारा अपात्र लाभुकों को हटाने हेतु समय-सीमा के अंदर विहित प्रक्रिया नहीं अपनायी जायेगी तथा जिलान्तर्गत प्रत्यर्पित की जाने वाली कोटि के प्राथमिकता सूची में लाभुकों का नाम प्रदर्शित होगा उन जिलों में उस कोटि में प्रत्यर्पण को स्वीकार नहीं किया जा सकेगा ।

(6) दिनांक 25.08.18 के बाद किसी भी जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत किसी भी कोटि में अयोग्य लाभुक का नाम प्रकाश में आने पर उप विकास आयुक्त व प्रखण्ड विकास पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे तथा इसके लिए जिम्मेदारी का निर्धारण करते हुए कार्रवाई की जायेगी ।

अत: अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

8/2018

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव

जिला स्तर से किए जाने वाले क्रियाविधि

सर्वप्रथम जिलास्तर से प्राथमिकता सूची से अयोग्य लाभुकों को पहचान करने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी । ऐसे लाभुको की पहचान करने के पश्चात् ये सभी लाभुक राज्य स्तर पर अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु State Login मे प्रदर्शित होगें ।

1. सर्वप्रथम District Login से किया जाएगा।
2. Beneficiary selection under PMAY-G Link पर Tap (Click) किया जाएगा ।
3. "Cases to be Remanded to Gram Sabha" Link पर Click किया जाएगा ।
4. Drop Down Box Menu से ग्राम पंचायत Select किया जायगा ।
5. ग्राम पंचायत Select करने के पश्चात् 4 विकल्प Drop Down Box में प्रदर्शित होंगे-
   i. In PWL but not Registered
   ii. Register but not sanctioned
   iii. Sanctioned but no fund released
   iv. Sanctioned and Fund released.

   उपर्युक्त चारो विकल्पों में से बारी-बारी से एक विकल्प चुना जाएगा । उदाहरण स्वरूप अगर केवल विकल्प एक (Yet to be sanctioned) चुना जाता है तो उस पंचायत के वैसे सभी लाभुक प्रदर्शित होगें, जिनकी स्वीकृति नही हुई है। इसी प्रकार से विकल्प 2 एवं 3 भी चुनने का प्रावधान है। विकल्प (iv) का प्रयोग तत्काल नहीं किया जाएगा।
6. विकल्प के चुनने के पश्चात प्रदर्शित हो रहे लाभुक जो अपात्र हैं, को चेक बॉक्स में टिक (√) किया जाएगा । टिक (√) करने के पश्चात् Drop Down Box Menu से लाभुक के अपात्र होने सें संबंधित कारण Select कर उससे संबंधित विवरण अपलोड किए जाएगें। Drop Down Box Menu में अपात्र होने से संबंधित कई कारण उपलब्ध कराये गये हैं, जो निम्न हैं:-
   i. Already has pucca house/availed under other scheme.
   ii. Beneficiary died with no nominee in secc list
   iii. Beneficiary migrated permanently.
   iv. Motorised two/three/four wheeler/fishing boat.
   v. Machanised three/four wheeler agricultural equipment.
   vi. Kisan Credit Card with credit limit of Rs.50, 000/- or above.
   vii. Household with any member as a Government employee.
   viii. Household with non-agricultural enterprises registered with the Government.
   ix. Any member of the family earning more than Rs.10,000/- per month.
   x. Paying Income tax.
   xi. Paying Professional tax.
   xii. Own a refrigerator.
   xiii. Own landline phone.
   xiv. Own 2.5 acres or more of irrigated land with at least one irrigation equipment.
   xv. 5 acres or more of irrigated land for two or more crop seasons.
   xvi. Owing at least 7.5 acres of land or more with at least one irrigation equipment.

   उपर्युक्त सभी कारणों में से सम्प्रति केवल निम्न 3 कारणों के आधार पर प्राथमिकता सूची में अयोग्य लाभुकों को चिन्हित कर हटाने की कार्रवाई की जायेगी:-
   1. Already has pucca house/availed under other scheme,
   2. Beneficiary died with no nominee in secc list
   3. Beneficiary migrated permanently

लाभुक के अपात्र होने से संबंधित प्रमाण-पत्र संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से प्रत्येक लाभार्थीवार अगल-अलग प्राप्त कर अपलोड किया जाएगा । विवरण अपलोड कर लेने के पश्चात् Send to State for approval Button को क्लिक किया जाएगा । Send to State for approval Button को क्लिक करने के पश्चात् उपर्युक्त सभी विवरण State Login में प्रदर्शित होगें ।

State Login से जिला द्वारा चिन्हित किए गए सभी लाभार्थियों को उनके अपलोड किए गए विवरण के आधार पर Block Login में भेजा जाएगा ।

<u>राज्य स्तर से किए जाने वाले क्रियाविधि</u>

1. State Login किया जाएगा।
2. Beneficiary selection under PMAY-G Link पर Tap (Click) किया जाएगा ।
3. "Cases to be Remanded to Gram Sabha" Link पर Click किया जाएगा ।
4. Drop Down Box Menu से ग्राम पंचायत Select किया जायगा ।
5. ग्राम पंचायत Select करने के पश्चात् 4 विकल्प Drop Down Box में प्रदर्शित होंगे-
   i. In PWL but not Registered
   ii. Register but not sanctioned
   iii. Sanctioned but no fund released
   iv. Sanctioned and Fund released.

विकल्प (iv) का प्रयोग तत्काल नहीं किया जाएगा।

6. जिला द्वारा किये गये लाभुक से संबंधित अपलोड किये गये विवरण के आधार पर उसे Submit किया जायेगा।
7. प्रत्येक लाभुक के लिए एक OTP generate होगा जो कि नोडल पदाधिकारी के मोबाईल नं0 पर आयेगा।

राज्य स्तर से जिला द्वारा चिन्हित लाभुक को Submit किये जाने के पश्चात आवास सॉफ्ट में उस लाभुक पर कोई भी अन्य कार्य यथा Geo Tagging, Order Sheet Generation, FTO Generation आदि का कार्य संभव नहीं हो पायेगा।

<u>प्रखण्ड स्तर से किए जाने वाले क्रियाविधि</u>

1. State Login किया जाएगा।
2. Beneficiary selection under PMAY-G Link पर Tap (Click) किया जाएगा ।
3. "Cases to be Remanded to Gram Sabha" Link पर Click किया जाएगा ।
4. Drop Down Box Menu से ग्राम पंचायत Select किया जायगा ।
5. ग्राम पंचायत Select करने के पश्चात् 4 विकल्प Drop Down Box में प्रदर्शित होंगे-
   ii. In PWL but not Registered
   iii. Register but not sanctioned
   iv. Sanctioned but no fund released
   v. Sanctioned and Fund released.

<u>विकल्प (iv) का प्रयोग तत्काल नहीं किया जाएगा।</u>

6. Drop Down Box Menu में विकल्पों के चयन के पश्चात् प्रदर्शित होने वाले सभी लाभुकों की सूची को डाउनलोड कर पुन: ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा।

7. ग्राम सभा के अनुमोदन के आधार पर लाभार्थियों क पात्र अथवा अपात्र चिन्हित किया जाएगा । लाभार्थी पात्र पाया जाता है तो इस मॉड्यूल में "If Beneficiary Eligible Column" में से "Yes" एवं लाभार्थी अपात्र पाया जाता है तो "No" किया जाएगा ।
8. चिन्हित किए गए पात्र / अपात्र लाभार्थी से संबंधित विवरण एवं ग्राम सभा की कार्रवाई भी अपलोड की जाएगी।
9. इसके पश्चात् Save & Submit Button पर क्लिक किया जाएगा । प्रखण्ड द्वारा लाभार्थियों की पहचान करने के पश्चात् पुन: सभी लाभार्थी State Login में प्रदर्शित होंगे।

राज्य स्तर से किए जाने वाले क्रियाविधि

1. राज्य स्तर से District Login से किया जायेगा।
2. Beneficiary selection under PMAY-G Link पर Tap (Click) किया जायेगा।
3. "Decision taken by Gram Sabha on remanded cases" Link पर Click किया जायेगा।
4. Drop Down Box menu से ग्राम पंचायत Select किया जायेगा।
5. ग्राम पंचायत Select करने के पश्चातद्व 4 विकल्प Drop Down Box में प्रदर्शित होंगे-
   i. In PWL but not Registered
   ii. Register but not sanctioned
   iii. Sanctioned but no fund released
   iv. Sanctioned and Fund released.

विकल्प (iv) का प्रयोग तत्काल नहीं किया जाएगा।

6. प्रखण्ड के द्वारा प्रतीक्षा सूची से अयोग्य लाभार्थियों को हटाने हेतु प्रत्येक लाभार्थी का विवरण एवं उससे संबंधित ग्राम सभा की कार्रवाई से मिलाया जाएगा।
7. मिलान के पश्चात् अयोग्य परिवार को State Login से Reject कर दिया जाएगा।

यदि लाभार्थी को जिला स्तर से स्वीकृति दे दी गयी है और यह पाया जाता है कि परिवार सहायता राशि प्राप्त करने हेतु अयोग्य है, तो इस मॉड्यूल के माध्यम से Delete करने के उपरान्त उक्त परिवार की स्वीकृति (Sanction) भी Delete हो जायेगी।

अपात्र परिवारों को Delete करने की प्रक्रिया केवल एक बार के लिए ही आवास सॉफ्ट पर उपलब्ध करायी गयी है। प्राथमिकता सूची से एक बार Delete हो गये परिवार सम्पूर्ण डाटा बेस से Delete हो जाएगा।

<u>प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड-..... जिला-..... का कार्यालय</u>

अभिलेख सं0-

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत प्राथमिकता सूची में सम्मिलित अयोग्य परिवारों का ग्राम सभा द्वारा पुर्नावलोकन एवं अनुमोदन से संबंधित अभिलेख

तिथि	विवरण	की गई कार्यवाही
दि0.....	श्री ..... ग्रामीण आवास साहायक, ग्राम पंचायत- ..... के द्वारा श्री ..... ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत श्री ..... पिता/पति - ..... ग्राम-.....टोला-.....ग्राम पंचायत- ..... का नाम दिनांक- ..... को आयोजित ग्राम सभा की कार्यवाही के आधार पर प्राथमिकता सूची के क्रम सं0-..... पर अंकित है। लेकिन उक्त परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अयोग्य परिवारों के लिए निर्धारित / निम्नलिखित मापदण्डों के अनुसार आवास का लाभ पाने के योग्य नहीं है :- 1. परिवार के पास पक्का मकान है/ अन्य आवास योजना से लाभ प्राप्त परिवार। 2. परिवार की मुखिया की मृत्यु हो गयी है और SECC डाटा में कोई वैध उत्तराधिकारी नामित नहीं है। 3. परिवार स्थायी रूप से पलायित हैं। 4. मोटर वाहन- दो/तीन/चार पहिया वाहन। 5. मैकेनाइज्ड तीन/चार/पहिया कृषि उपकरण। 6. 50,000/- रूपये या उसके उपर की क्रेडिट सीमा के साथ किसान क्रेडिट सीमा के साथ किसान क्रेडिट कार्ड। 7. सरकारी नौकरी में परिवार के सदस्य हो। 8. गैर पंजीकृत कृषि उद्यमी परिवार। 9. परिवार के किसी भी सदस्य जिसकी प्रति माह 10,000/- रूपये से अधिक की आय। 10. इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले परिवार। 11. व्यावसायिक टैक्स का भुगतान करने वाले परिवार। 12. परिवार में रेफ्रीजेरेटर हो। 13. स्वयं का Landline फोन हो। 14. स्वयं की 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि तथा कम से कम एक सिंचाई उपकरणों के साथ हो। 15. स्वयं की 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि जहाँ एक मौसम में दो या अधिक फसल होती हो। 16. स्वयं की 7.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि तथा कम से कम एक सिंचाई उपकरणों के साथ।	अभिलेख उप विकास आयुक्त, ... को अग्रसारित की गई। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
	(जो लागू हो उसे (√) अंकित करें) अतएव प्राथमिकता सूची से नाम हटाने के लिए अग्रेत्तर अपेक्षित कार्रवाई की अनुसंशा की जाती है। (नाम एवं हस्ताक्षर) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	

दि0.....	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ... से दिनांक- ..... को श्री .....पिता/पति- ..... ग्राम-.....टोला- .....ग्राम पंचायत-..... का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्राथमिकता सूची क्रम सं0- ..... से हटाने की अनुसंशा के साथ अभिलेख प्राप्त है । अधोहस्ताक्षरी द्वारा समीक्षोपरान्त उक्त परिवार का नाम प्राथमिकता सूची से हटाने संबंधी अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना से अनुसंशा की जाती है। (नाम एवं हस्ताक्षर) उप विकास आयुक्त जिला.....	अभिलेख की स्कैन प्रति आवास सॉफ्ट के माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को अग्रसारित की गई। 2. अभिलेख प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ... को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु वापस की गई। उप विकास आयुक्त

नोटः- अयोग्य परिवारों का नाम स्थायी प्रतीक्षा सूची से हटाने संबंधी उप विकास आयुक्त से प्राप्त अनुसंशा के आधार पर ग्रामीण विकास विभाग के स्तर से सूची को ग्राम सभा के पुर्नावलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को आवास सॉफ्ट के माध्यम से भेजी जाएगी तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा सूची को डाउनलोड कर ग्राम सभा के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा।

दि0-.....	अभिलेख उपस्थापित । श्री ..... पिता/पति - ..... ग्राम-.....टोला- .....ग्राम पंचायत- ..... का नाम दिनांक- ..... को आयोजित ग्राम सभा की कार्यवाही के आधार पर प्राथमिकता सूची के क्रम सं0-..... पर अंकित है। दिनांक-..... को हुई ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही की कंडिका सं0-..... में उक्त परिवार का पुर्नावलोकन किया गया तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अयोग्य परिवारों के लिए निर्धारित मापदण्ड :- 1. परिवार के पास पक्का मकान है/ अन्य आवास योजना से लाभ प्राप्त परिवार 2. परिवार की मुखिया की मृत्यु हो गयी है और SECC डाटा में कोई वैध उत्तराधिकारी नामित नहीं है। 3. परिवार स्थायी रूप से पलायित हैं। 4. मोटर वाहन- दो/तीन/चार पहिया वाहन। 5. मैकेनाइज्ड तीन/चार/पहिया कृषि उपकरण। 6. 50,000/- रूपये या उसके उपर की क्रेडिट सीमा के साथ किसान क्रेडिट सीमा के साथ किसान क्रेडिट कार्ड।	अभिलेख एवं ग्राम सभा के कार्यवाही की स्कैन प्रति आवास सॉफ्ट के माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को अग्रसारित की गई।
	7. सरकारी नौकरी में परिवार के सदस्य हो। 8. गैर पंजीकृत कृषि उद्यमी परिवार। 9. परिवार के किसी भी सदस्य जिसकी प्रति माह 10,000/- रूपये से अधिक की आय। 10. इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले परिवार। 11. व्यावसायिक टैक्स का भुगतान करने वाले परिवार।	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी

	12. परिवार में रेफ्रीजेरेटर हो। 13. स्वयं का Landline फोन हो। 14. स्वयं की 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि तथा कम से कम एक सिंचाई उपकरणों के साथ हो। 15. स्वयं की 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि जहाँ एक मौसम में दो या अधिक फसल होती हो। 16. स्वयं की 7.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि तथा कम से कम एक सिंचाई उपकरणों के साथ। (जो लागू हो उसे (√) अंकित करें) के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत लाभ पाने के लिए पात्र नहीं पाया गया। अतः श्री ..... पिता/पति - ..... ग्राम-.....टोला-.....ग्राम पंचायत- ..... का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की स्थायी प्रतीक्षा सूची से विलोपित किया जाता है। (नाम एवं हस्ताक्षर) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	

नोटः- ग्राम सभा की कार्यवाही के आधार पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा अयोग्य परिवार का नाम हटाने संबंधी प्रस्ताव के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के स्तर से अयोग्य परिवार का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की स्थायी प्रतीक्षा सूची से हटाया जायेगा।